

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग
5, हार्डिंग रोड, पटना-800001
(वेबसाइट-<https://bpssc.bihar.gov.in>)

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक (सामान्य बंद संवर्ग) के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन
ऑनलाइन आवेदन

की प्रारंभ तिथि-09/07/2026 अंतिम तिथि-09/08/2026

विज्ञापन संख्या-09/2026

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक (सामान्य बंद संवर्ग) के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

पद	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
पुलिस अवर निरीक्षक (सामान्य बंद संवर्ग) Police Sub-inspector (General Closed Cadre)	लेवल-6	150 (एक सौ पचास)

उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या-09/2026 यहाँ जारी किया जा रहा है।

- उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन (Online) आवेदन प्राप्त किया जायेगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है।
- गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक (सामान्य बंद संवर्ग) के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित/वर्णित प्रावधान:- (i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार पत्रांक-23/नियुक्ति-01-97/2025-2383/सा0प्र0 दिनांक-03.02.2026 (ii) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) पत्र संख्या-08/ब. 2-10-02/2025 गृ0आ0-663 दिनांक-14.01.2026 (iii) बिहार पुलिस मुख्यालय (आसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग) का पत्र सं0/सा0शा0/सं0सं0-119/2025/6283 दिनांक-10.12.2025 (iv) बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) पत्र संख्या-8/विविध-10-29/2025 गृ0आ0-12257 दिनांक-22.09.2025 एवं (v) बिहार पुलिस मुख्यालय (आसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग) का पत्र सं0-सा0शा0/सं0सं0-119/2025/2542 दिनांक-26.06.2025 द्वारा प्राप्त अध्याचना (vi) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना ज्ञापांक-3228 दिनांक-15.03.2024, बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक (सामान्य बंद संवर्ग) नियमावली-2024 (vii) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-294, दिनांक-07 जनवरी, 2016 (ix) सामान्य

प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या-13185 दिनांक-03.09.2015

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-2526 दिनांक-18.02.2016

(xiii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली, 2019

(xiv) विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-1520, दिनांक 23 फरवरी, 2019 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 (xv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या-6168, दिनांक-31.03.2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या-12123 दिनांक-23.06.2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्र सं0-5622, दिनांक-24.03.2026 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) (xvi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक-20 जनवरी, 2016 (xvii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (xviii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 (बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होने के संबंध में) (xix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-3/एम0-44/2021सा0प्र0-5374, दिनांक-02.04.2013 (भूतपूर्व सैनिकों की दी जाने वाली उम्र सीमा में रियायत के संबंध में) तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

4. आवेदन के लिए पात्रता:-

- 4.1 भारतीय नागरिक (Indian) पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं।
- 4.2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता:-दिनांक-01.08.2025 तक स्नातक या समकक्ष।
- 4.3 उम्र सीमा की गणना:-उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2025 के आधार पर की जायेगी।
- 4.4 अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक-01.08.2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी:-
 - (1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।
 - (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।

- (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष।
- (4) बिहार राज्य के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो।
- (5) असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट-ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (6) अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म-तिथि के आधार पर की जायेगी।

4.5 अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड:-ऊँचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।

(क) ऊँचाई -

- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए-
न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर।
- (2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए-
न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर।
- (3) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए-न्यूनतम ऊँचाई 155 सेन्टीमीटर।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -

- (1) अनारक्षित(सामान्य) वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए-
बिना फुलाए- 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर- 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
- (फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)।
- (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए -
बिना फुलाए- 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर- 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)।

- (3) महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी।

(ग) **वजन-** सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया:-नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी।

(अ) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन के संग्रहण के उपरान्त आवेदनों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का

आयोजन किया जायेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दो चरणों में होगी यथा-प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा।

- (ii) **प्रथम चरण:- प्रारम्भिक परीक्षा-** प्रारम्भिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रारम्भिक परीक्षा में दो सौ (200) अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या एक सौ (100) होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो (02) अंक दिये जायेंगे।

उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिन्दी भाषा ज्ञान, तर्कशक्ति एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। **प्रारम्भिक परीक्षा में तीस प्रतिशत (30%) से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।**

प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम दस गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा, परन्तु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त अनुपात (सभी कोटियों के समरूप) उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।

प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहु-सत्रीय/बहु-प्रश्नपत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यीकृत (Normalized) अंकों की गणना इक्वि-पर्सेंटाइल पद्धति (Equi-Percentile Method) से की जाएगी।

- (iii) **द्वितीय चरण:- मुख्य परीक्षा-**प्रथम चरण में आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। मुख्य परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे।
- (क) **प्रथम प्रश्न पत्र** वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 180 मिनट (3 घंटा) के समय में दो सौ (200) प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिये जायेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा।
- (ख) **द्वितीय प्रश्न पत्र** 60 मिनट (1 घंटा) का होगा, इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिये गये तालिका के अनुसार होगा।

मुख्य परीक्षा का प्रकार		समय	अंक
वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा	प्रथम पत्र-200 अंक (i) सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना (General studies & current affairs) (50 अंक) (ii) गणित एवं परिमाणात्मक कौशल (Mathematics and Quantitative aptitude) (40 अंक) (iii) तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता (Reasoning and analytical ability) (40 अंक) (iv) अंग्रेजी भाषा (English Language) (20 अंक) (v) हिन्दी भाषा (Hindi Language) (20 अंक)	3 घंटा	200 अंक

	(vi) बिहार के सामान्य ज्ञान (30 अंक) (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा)		
विषयनिष्ठ लिखित परीक्षा	द्वितीय पत्र-50 अंक (i) हिन्दी निबंध-15 अंक (ii) अंग्रेजी निबंध-15 अंक (iii) अंग्रेजी संक्षेपण (English Precise)-10 अंक (iv) हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद-10 अंक	1 घंटा	50 अंक

(ग) प्रथम प्रश्न-पत्र की उत्तर-पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी एवं एक प्रति अभ्यर्थी को दी जायेगी। दोनों पत्रों में कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 03 गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जायेगा।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात को उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।

(ब) **तृतीय चरण:- शारीरिक दक्षता परीक्षा-**मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के ऊँचाई, सीना एवं वजन से संबंधित मापदण्ड की जाँच विज्ञापन के कंडिका-4.5 में वर्णित मापदण्ड के अनुरूप की जायेगी।

जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप योग्य नहीं पाये जायेंगे उन्हें असफल माना जायेगा। शारीरिक मापदण्ड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगा।

6. **मेधा सूची का निर्माण:-**

- अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार तैयार की जायेगी।
- लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनके जन्म-तिथि की वरीयता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म-तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जायेगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्म-तिथि वाले हों तथा समान शैक्षणिक योग्यता वाले हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके दसवीं बोर्ड परीक्षा के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लेखित नाम के हिन्दी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी।
- अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकार विशेष शाखा में पदस्थापित पुलिस उप-महानिरीक्षक को नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी।

7. **रिक्ति:-**सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-23/नियुक्ति-01-97/2025 -2383/सा0प्र0, दिनांक-03.02.2026 द्वारा प्राप्त अध्याचना के अनुसार विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक (सामान्य बंद संवर्ग) पद की रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के अनुमान्य पद
1	गैर आरक्षित वर्ग	60	21	03
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15	05	
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	27	09	
4	अनुसूचित जाति	24	08	
5	पिछड़ा वर्ग	18	06	
6	पिछड़ा वर्ग की महिला	04	-	
7	अनुसूचित जनजाति	02	-	
	योग	150		

8. **आरक्षण:-**

- (i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

(ii) **महिलाओं के लिए प्रावधान:-**

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम 3, 1992) (समय समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 के द्वारा 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमान्य किया गया है।

परंतु, यह भी कि बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

(iii) **बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए प्रावधान:-**

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13185, दिनांक-03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज

आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

- (iv) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 की आय एवं परिसम्पतियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण-पत्र अनुमान्य होगा। प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्ता/ महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5622, दिनांक-24.03.2026 के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।

- (v) किसी भी प्रकार के आरक्षण(महिलाओं के 35% आरक्षण सहित) का लाभ, केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को अनारक्षित कोटि/श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनको अयोग्य माना जाएगा।

9. **कट ऑफ तिथि:-** सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट-ऑफ तिथि-01 अगस्त, 2025 निर्धारित की जाती है।

10. **नियुक्ति प्राधिकार:-** प्राप्त अध्याचना के अनुसार विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक (सामान्य बंद संवर्ग) पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार पुलिस उप-महानिरीक्षक (विशेष शाखा) होंगे।

11. **चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन-**

उपरोक्त पद पर नियुक्ति से पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जाएंगे।

अभ्यर्थी को ऐसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य हो सकता हो।

टिप्पणी 1-नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा।

दृष्टि बोध, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट-फुट एवं नौकिंग-नी आदि की जाँच चिकित्सकीय जाँच में की जायेगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी 2-हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि अभ्यर्थी को चुनाव के लिए अपात्र बना देगी।

टिप्पणी 3-किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जायेगा।

12. **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-** उपरोक्त पद पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की पद्धति अपनायी गयी है। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में आयोग की वेबसाइट-
<https://bpssc.bihar.gov.in> के “Bihar Police” Tab पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन का क्रय करना होगा। आवेदन का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन करने/आवेदन समर्पित करने के बाद आवेदन के शुल्क को संबंधित बैंक से चार्ज बैंक की मांग कर वापस ले लिया जाएगा उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
13. सभी वर्ग/कोटि की पुरुष/महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 100/- (एक सौ) रुपये है।
14. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगा, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking)/UPI के ट्रान्जेक्शन (Transaction) ही अनुमान्य होंगे इसके अतिरिक्त कोई अन्य Payment Mode मान्य नहीं होगा।
15. **ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-**
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।*
 - ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट-<https://bpssc.bihar.gov.in> के “Bihar Police” Tab पर जाकर Advt. No.- 09/2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
 - पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथासम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। **पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है।** यदि आपकी अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आईडी (e-mail Id) एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएँगी।

- (iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक आयोग अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर/ ई-मेल आईडी0 पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी0 के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- (v) अभ्यर्थी को आवेदन एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाएगी।
- (vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन भरा जा सकेगा। आवेदन भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी0 एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यही रजिस्ट्रेशन आईडी0 एवं पासवर्ड (Password) आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी0 पर भी भेजा जायेगा।
- (vii) आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।
- (viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन करेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
- (ix) अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म-तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरेंगे। प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- (x) *आवेदन में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।*
- (xi) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट-state.bihar.gov.in पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।
- (xii) **ऑनलाइन आवेदन:-**
ऑनलाइन आवेदन दो भागों में भरा जायेगा-

- (क) **ऑनलाइन आवेदन के प्रथम भाग** में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी0, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म-तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल आईडी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/E-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा है।

पंजीकरण रद्दीकरण - यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट (Edit) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

- (ख) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद **ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय भाग** में वांछित सूचनाएँ यथा-पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद (i) आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली अथवा नीली स्याही) से अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

- (ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक "Edit Details" के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/E-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट/समर्पित किए गये आवेदन के विवरण को सही मानते हुए आयोग आवेदन में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।

- (घ) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन को रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया:- यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। परन्तु पूर्व में

भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

16. महत्वपूर्ण निर्देश :-

भरे गये ऑनलाइन आवेदन को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन की पावती (Acknowledgement) की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

17. ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

18. उम्मीदवारी रद्दीकरण- आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है:

- (i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना।
- (ii) आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना।
- (iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्जबैंक के रूप में प्राप्त कर लेना।
- (iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।
- (v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।
- (vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।
- (vii) आवेदन में जन्म-तिथि गलत अंकित करना।
- (viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना।
- (ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे-विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना तथा भारत का नागरिक न होना आदि।
- (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।
- (xi) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत/समर्पित न करना, जैसे-
- (क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।

- (ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि का पाया जाना, आदि।
- (xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।
- (xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।
- (xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धमकी देना अथवा देने का प्रयास करना।
- (xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए।
19. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश-पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से एवं आयोग की वेबसाइट पर यथा समय दी जायेगी। कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती है। अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई-मेल आईडी सक्रिय/जारी रखें।
20. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 06 माह का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा-पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

ह0/-

अध्यक्ष,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा-01-05/2026-879

दिनांक-03.07.2026

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

5, हार्डिंग रोड, पटना।

- प्रतिलिपि:-1. सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार पटना को सूचनार्थ कृपया।
4. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/-

अध्यक्ष,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

पटना।